

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर ।

क्रमांक-अराज/सामान्य/09/ 802


दिनांक- 17-11-09

समस्त प्रिंसीपल मेडिकल कॉलेज
समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ
निदेशक (ई0एस0आई0)/मोबाईज सर्जिकल यूनिट
समस्त संयुक्त निदेशक (जोन)
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषय - स्थानान्तरण आदेशों के संबंध में ।

महोदय,

निदेशालय द्वारा आदेश क्रमांक- अराज/सामान्य/09/647, 648, 649, 650, 651 एवं 652 दिनांक 22-10-09 को जारी स्थानान्तरण आदेशों में यह अंकित किया गया है कि स्थानान्तरित कर्मचारियों को यात्रा भत्ता एवं कार्य ग्रहण समय देय नहीं होगा । इस शर्त में यह संशोधन किया जाता है कि स्वयं के आवेदन पर स्थानान्तरण कराने वाले कर्मचारियों को यात्रा भत्ता एवं कार्य ग्रहण समय देय नहीं होगा एवं अन्य सभी स्थानान्तरित कर्मचारियों को यात्रा भत्ता एवं कार्य ग्रहण समय नियमानुसार देय होगा ।



अति0निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राज0 जयपुर ।

क्रमांक-अराज/सामान्य/09/ 802

दिनांक- 17-11-09

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चि0 एवं स्वा0 विभाग राज0 जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर ।
3. श्री राजेश राजकुमारवरा, रथाई राजकीय अधिवक्ता, मा0 राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि यदि विभाग के विरुद्ध इस बिन्दु को लेकर कोई अपील माननीय अधिकरण में प्रस्तुत होती है तो कृपया विभाग की ओर से उपरोक्त तथ्य माननीय अधिकरण के समक्ष रखा जावे ।



अति0निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राज0 जयपुर ।